न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र सं0 : 01/2019 (2019/00101)

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

प्रेमसिंह पुत्र नृसिंह, जाति माली, निवासी ग्राम बागा, तहसील व जिला जोधपुर।

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत।

– – –

उपस्थिति :

1- प्रार्थीपक्ष अनुपस्थित।

2- अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (अप्राथीपक्ष)।

–: आदेश :– **दिनांकः 28.12.2021**

प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान मारवाड़ स्टेट के पूर्व राजा सूरसिंह ने विक्रम संवत् 1664 में सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया व इसके साथ महलों का भी निर्माण करवाया तथा बाद में वहां एक बाग भी सूरसिंह के वंशज गजसिंह ने बनवाया तथा आसपास के स्थानों पर रियासत काल के अवशेष मौजूद है तथा तालाब के आसपास कुछ खसरे भी तालाब के हिस्से है तथा कुछ लोग उस आसपास वाले खसरों पर नाजायज तरीके से आधिपत्य करना चाहते है। प्रथम मिसल वि.स. 1991 में खसरा नं. 851, 852, 853 व 854/1 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वांशी, इसमें शामिल है तथा यह खसरे भी सूरसागर तालाब के हिस्से रहे हैं तथा सम्वत् 1992 खाता संख्या 148 के पट्टा नं. 1/65 काश्त हेतु हिरो बेटो सवाई रो जाति माली के नाम रहा तथा सम्वत् 1999 में खसरा संख्या 851, 852, 853 व 854/1 नवोड़ा बेरा दर्ज हो गया तथा पट्टा दिनांक 21–05–1943 अप्रार्थी के पिता के नाम जारी हो गया, जो सही होने योग्य है। वर्तमान में खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी है तथा अप्रार्थी अब भूमि पर मिट्‌टी डाल रहे है तथा उपरोक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के भी अधीन प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। जिससे व्यथित होकर यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थीपक्ष अभिभाषक की बहस दिनांक 15.12.2021 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने अपनी बहस में बतलाया कि वर्तमान प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं तथा उक्त खसरों की भूमि शुरू से ही चाही किस्म की रही है तथा उक्त भूमि स्थित कुआं नवोड़ा बेरा के नाम से जाना जाता है तथा इसका लगान भी निर्धारित था। उक्त भूमि कभी तालाब की भूमि नहीं रही। इस कृषि भूमि का बापी पट्‌टा भी सन् 1943 में अप्रार्थी के पिता के नाम से तत्कालीन जोधपुर सरकार के सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा जारी किया था, जिस में उसे बापीदार बताया गया है।

अप्रार्थी के नाम जारी पट्‌टा 1943 में यह पट्‌टा बापी व गैरबापी रूल्स के अधीन नियत किया गया, जबकि वर्तमान प्रार्थना–पत्र एल.आर. एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया, जो कि भूतलक्षित नहीं है तथा धारा 82 के अधीन कलेक्टर सिर्फ परीक्षण कर सकता है तथा राय व्यक्त कर सकता है। कालान्तर में जोधपुर नगर निगम एवं उससे पूर्व जोधपुर नगर परिषद द्वारा चांदपोल क्षेत्र के रहवासीय मकानों से निकलने वाले गंदे पानी को ले जाने के लिए नाले का निर्माण विद्याशाला स्कूल के सामने से होते हुए अप्रार्थी की भूमि की तरफ करवाया जो आगे ले जाना था परन्तु वहीं पर लाकर अप्रार्थी की भूमि के गेट के आगे छोड़ दिया परिणामस्वरूप घरों से निकलने वाला पानी एवं बरसाती पानी नाले से बह कर अप्रार्थी की उक्त जमीन में एकत्रित होने लगा व लम्बे समय तक वहां पर गन्दगी फैलने के कारण जमीन की उपजाऊपन को प्रभावित किया फलस्वरूप अप्रार्थी की खातेदारी भूमि को जबरदस्त नुकसान पंहुचाया गया। अप्रार्थी की उपरोक्त भूमि के पास में से गेट के आगे घोडाघाटी से आने वाली सड़क चलती है जो आगे सूरसागर रामद्वारा के पास में से होकर आगे चलने वाली सड़क से मिल जाती है। इस सड़क को चौड़ी करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

भूमि बाबत् अधिग्रहण के नोटिस का उल्लेख व पूर्व राजघराने से सम्बन्धित किसी सदस्य की देखरेख में प्रार्थना–पत्र पेश करना बताया तथा प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अवलोकन किया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध बापी पट्टा सन् 1943 के अनुसार उक्त पट्टा सेटलमेन्ट विभाग जोधपुर के रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा अप्रार्थी के पिता नरसिंह के नाम जारी किया गया। इस पट्टे में खसरा नं0 851, 853, 854/1 की किस्म चाही आपीफ दर्ज है तथा खसरा नं0 852 गै0 मु0 बेरा है अर्थात् सम्पूर्ण भूमि सिंचित थी एवं सिंचाई का साधन खसरा नं0 852 कुंआ था। सम्पूर्ण भूमि का रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा तथा लगान 72 रूपये ग्यारह आना मुकर्रर था। पट्टे में भूमि को कही पर तालाब दर्ज किया हुआ नहीं है। इसके पश्चात् की जमाबन्दियों में लगातार यही किस्म दर्ज रही है। संवत् 2003 से गिरदावरी में नरसिंह बापीदार तथा सिंचित काश्त का इन्द्राज है। गांव बागा में राजस्व विभाग द्वारा सेटलमेन्ट की कार्यवाही नहीं की गयी बल्कि सीधे जमाबन्दियां तैयार की गयी। बापीदार के अधिकार हस्तान्तरण योग्य एवं विरासतन थे एवं बापी और गैर बापी रूल्स के तहत वह टिनेन्ट थां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू होते समय बापीदार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र केवल आदेश के विरूद्ध पेश किया जा सकता है जबकि वर्तमान मामले में बापी पट्टे को निरस्त करने की मांग की गयी है। माननीय राजस्व मण्डल की नजीर 2019 त्त्क पेज 188 सरकार बनाम गुलाब बाई में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। बापीपट्टा सन् 1943 में जारी किया गया जिसके लगभग 75 वर्ष बाद यह रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नजीर 2015 त्त्क 556 (एल0 बी0) तारा बनाम राजस्थान सरकार तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर 2015 (3)ैब पेज 695 ज्वॉइन्ट कलेक्टर रंगारेड्डी जिला बनाम नरसिंग राव में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण विलम्ब से पेश होने से भी निरस्त योग्य है। द्वितीयतः पत्रावली पर ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड अथवा राजस्व नक्शा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि उक्त भूमि कभी भी तालाब के रूप में जमाबन्दी में दर्ज रही हो या राजस्व नक्शे में तालाब के रूप में दर्शायी गयी हो। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त चारों खसरों की भूमि प्रेमसुख पुत्र नरसिंह जाति

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

माली के खातेदारी में दर्ज है एवं इसकी किस्म वही दर्ज है जो बापी पट्टा सन् 1943 में दर्ज थी। इन परिस्थितियों में वर्तमान मामले में धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत रेफरेन्स किये जाने का कोई आधार नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण रेफरेन्स योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 28.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested